UPMT010068032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3018/2026
सौरभ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 369/2026, धारा 69,115(2),351(3),127 भारतीय न्याय संहिता, थाना छाता, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त **सौरभ** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त जो वादिया का जेठ है, के द्वारा अपनी बातों में फंसाते हुए भविष्य के सपने दिखाकर गुमराह करते हुए अपने साथ रहने की कहकर दिनांक 04.07.2026 को मिलने के लिए मय जेवरात के लेकर आना तथा वादिया को अपने घर पर ले जाकर वादिया के साथ वादिया की बिना सहमति के बन्धक बनाकर बलात्कार करना एवं वादिया के ससुरालीजन द्वारा मारपीट कर वादिया को जान से मरवा देने की धमकी देना, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के विद्वान निजी अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा जगदीश प्रसाद पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लम्बित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05.07.2026 को वादिया गुड़िया के पति राजकुमार द्वारा प्रार्थनापत्र दिया था जिसकी पुलिस द्वारा जांच की गयी जिसे झूंठा पाया गया और पुलिस रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि श्रीमती गुड़िया अपने मायके में रह रही है, उसे अभियुक्त द्वारा न बहलाया फुसलाया गया और न ही उसे अपने घर में जबरदस्ती रखा गया, वह अपनी इच्छा से अपनी ससुराल से चली आयी थी तभी से वह अपने भाई तेजपाल व भाभी रेनू व पिता मोहनलाल के साथ अपने मायके में गांव बसौदी थाना गोवर्धन में रह रही है। उसी घटना में गुड़िया को रिपोर्टकर्ता बनाकर कुछ गलत बात जोड़कर झूंठ के आधार पर पुलिस से साजकर एक झूंठा मुकदमा बनाया गया है। वादिया व आवेदक/अभियुक्त दोनों परिवारों में आपस में खेत की जमीन के बंटवारे का विवाद है, इसी के कारण वादिया का पति आवेदक/अभियुक्त से रंजिश मानता है। वादिया व अभियुक्त दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा रिपोर्टकर्ती के ससुर व अभियुक्त के पिता खेत की खतौनी में सहखातेदार हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 25.07.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिया मुकदमा/पीड़िता गुड़िया को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा वादिया के बन्धक बनाकर रखा, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। आवेदक/अभियुक्त वादिया/पीड़िता का जेठ है। अपराध गम्भीर प्रवृत्ति का है। मामले की विवेचना चल रही है, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। आवेदक/ अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.08.06 16:17:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने, पीड़िता को बंधक बनाकर रखने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देना, आक्षेपित है।

मामले की वादिया/पीड़िता द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर अपना शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसके पति राजकुमार द्वारा प्रार्थिया से जबरदस्ती तहरीर पर हस्ताक्षर कराकर एक झूंठी रिपोर्ट अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध दर्ज करा दी गयी थी।

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **सौरभ** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसको निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–06.08.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा ,पी.ए.